DULARI DEVI INSTITUTE OF PHARMACY

Approved by : A.I.C.T.E. Govt. of India, P.C.I. & Affiliated to : Board of Technical Education U.P. Technical University, U.P. Govt.

PISAWA ROAD, CHANDAUS, ALIGARH (U.P.) 202 132

Mob : 08755877858, 08859478567, 09359816858

For more details visit website : www.bteup.com & www.mkrgi.org

Email : ddip.chandaus@rediffmail.com

MTU Code 808

BTE Code 144

Director/Secretary — Fax : 05724-295566

Ref. No. ....

Dated 17/01/2014

सेवा में,

सचिव महोदय
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
बिहार सरकार,
पटना।

12.1.14

विषयः— सत्र 2012—13 में बिहार राज्य के SC/ST वर्ग के उक्त संस्थान में प्रवेशित संलग्नित सूची के छात्रों की संस्थान को शुल्क क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उक्त संस्थान द्वारा बिहार राज्य के SC/ST वर्ग के गरीब छात्रों को सत्र 2012—13 में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार एवं बिहार राज्य की योजना के अनुसार विभिन्न पाठ्यकमों में निःशुल्क प्रवेश दिये गये थे। सत्र समाप्त हो गया है लेकिन वर्ष—भर पढ़ाई कराने के बावजूद सम्बंधित विभाग द्वारा संलग्नित सूची के छात्रों की संस्थान को अभी तक कोई शुल्क क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है, जिसके बारे में पूर्व में भी कई बार पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराया गया था।

महोदय, यहाँ यह भी कहना अत्यंत आवश्यक है कि सत्र 2012—13 बीत चुका है तथा सत्र 2013—14 के भी 6—माह बीत गये हैं। उपरोक्त संस्थान स्ववित्तपोषित संस्थान है। शुल्क क्षतिपूर्ति प्राप्त न होने के अभाव में संस्थान को सुचारु रुप से चलाना काफी कठिन हो रहा है और इसके साथ ही सरकार की नीतियों से विश्वास भी खत्म हो रहा है। महोदय, यदि उक्त संस्थान को सत्र 2012—13 की शुल्क क्षतिपूर्ति जारी करने से पूर्व उपरोक्त के सन्दर्भ में संस्थान की कोई भी जॉच कराना आवश्यक हो तो उसके लिये भी संस्थान पूर्णतः तैयार है।

अतः महोदय सत्र 2012—13 की शुल्क क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति जारी करने के सम्बंध में यथाशीघ्र सम्बंधित अधीनस्थ अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

संस्थान परिवार आपका आजीवन ऋणी रहेगा।

Encl.:-

1. AICTE Approval Letter.
2. Mahamaya Technical University (Formerly U.P.T.U.) Affiliation Letter.
3. Students List with Online Application ID No.

भवदीय

Nirbhay Singh

(निर्भय सिंह)
सचिव

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

All India Council for Technical Education
(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

7th Floor, Chandralok Building, Janpath, New Delhi- 110 001
PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-India.org

F.No. Northern/1-761199272/2012/EOA

Date: 10 May 2012

To,
The Principal Secretary (Tech Edu.)
Govt. of Uttar pardesh
Sachiv Bhawan Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of approval for the academic year 2012-13

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the academic year 2012-13

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2010 notified by the Council vide notification number F-No.37-3/Legal/2010 dated 10/12/2010 and amendment vide notification number F-No.37-3/Legal/2011 dated 30/09/2011 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time. I am directed to convey the approval to

Regional Office	Northern	Application id	1-761199272
		Permanent Id	1-500332201
Name of the Institute	DULARI DEVI INSTITUTE OF PHARMACY	Institute Address	VILL-CHANDAUS POST-ALIGARH CHANDAUS, ALIGARH Uttar Pradesh, 202132
Name of the Society/Trust	SHRI RAMCHANDRA SHIKSHA & SEWA SAMITEE	Society/Trust Address	VILL-CHANDAUS POST-CHANDAUS,CHANDAUS,ALIGARH Uttar Pradesh,202132
Institute Type	Unaided - Private		

Opted for change from Women to Co-ed	No	Opted for change of name	No	Opted for change of site	No
Change from Women to Co-ed approved	Not Applicable	Change of name Approved	Not Applicable	Change of site Approved	Not Applicable

to conduct following courses with the intake indicated below for the academic year 2012-13

Note: This is a Computer generated Extension of Approval Letter. No signature is required.

Letter Printed On 17 May 2012

Printed By : AIC004438

All India Council for Technical Education
(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

7th Floor, Chandralok Building, Janpath, New Delhi- 110 001
PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-India.org

Application Id: 1-761199272

Program	Shift	Level	Course	Full/Part Time	Affiliating Body	Intake 2011-12	Intake Approved for 12-13	NRI	PIO	Foreign Collaboration
PHARMACY	1st Shift	DIPLOMA	PHARMACY	FULL TIME	Board of Technical Education, Lucknow(UP)	120	120	No	No	No
PHARMACY	1st Shift	UNDER GRADUATE	PHARMACY	FULL TIME	University of Lucknow Lucknow	60	120	No	No	No

The above mentioned approval is subject to the condition that DULARI DEVI INSTITUTE OF PHARMACY shall follow and adhere to the Regulations, guidelines and directions issued by AICTE from time to time and the undertaking / affidavit given by the institution along with the application submitted by the institution on portal.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:- Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation

(Dr. K P Isaac)
Member Secretary, AICTE

Copy to

1. **The Regional Officer,**
   All India Council for Technical Education
   Govt. Polytechnic Campus
   Adjoining Directorate of Technical Education
   Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

2. **The Director Of Technical Education,**
   Uttar Pradesh

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

All India Council for Technical Education
(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

7th Floor, Chandralok Building, Janpath, New Delhi- 110 001
PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-India.org

3. **The Registrar,**
   Board of Technical Education, Luknow(UP)

4. **The Principal / Director,**
   DULARI DEVI INSTITUTE OF PHARMACY
   VILL-CHANDAUS
   POST-ALIGARH,
   CHANDAUS,ALIGARH,
   Uttar Pradesh,202132

5. **The Secretary / Chairman,**
   SHRI RAMCHANDRA SHIKSHA & SEWA SAMITEE
   VILL-CHANDAUS
   POST-CHANDAUS,
   CHANDAUS,ALIGARH,
   Uttar Pradesh,202132

6. **Guard File(AICTE)**

Application Number: 1-761199272*

Note: This is a Computer generated Extension of Approval Letter. No signature is required.

Letter Printed On:17 May 2012.

Printed By : AIC004438

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

P. Saxena
Registrar

महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय
Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) 201301
Ph. 0120-2472704-708
Fax: 0120 2472704

पत्र संख्या: एम0टी0यू0/कुलस0 का0/सम्बद्धता/2012/3682 दिनांक: 30.10.2012

To,

Director,
Dulari Devi Institute of Pharmacy,
Chandaus, Aligarh (808)

विषय: संस्था को शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2795/सोलह-[illegible] (13)/2010 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 26(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या Northern Region.F.No.Northern/1-761199272/2012/EOA दिनांक 10.05.2012 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

B.Pharm 120 Seats

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है:

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. सत्रारम्भ से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी सत्र अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

7 बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बी0आर्क0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाए नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

8 संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9 जिन संस्थाओं की अम्बातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता बाद कार्यवाही के अधीन होगी।

10 प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(पी0के0सेना)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
5. गार्ड फाइल।

(पी0के0सेना)
कुलसचिव

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:—प्राशिप/सम्बद्धता/2012/16168—321 लखनऊ:दिनांक— 14—9—2012

:— कार्यालय ज्ञाप :—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2012—13 हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में, पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 7—7—2012 को बैठक संपन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार संस्थाओं को पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में वृद्धि को सम्बद्धता विस्तार सत्र 2012—13 तक प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया है :—

"संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ए0आई0सी0टी0ई की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के मानकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, और सोसाइटी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संस्था की संचालक सोसाइटी स्वयं उत्तरदायी होगी।"

संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2012—13 हेतु उपरोक्त शर्त के साथ—साथ निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता है ।

<u>सम्बद्धता हेतु शर्तें</u>

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तो का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली—1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम सहित) हेतु रू0 28,000/— प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों हेतु रू0 20,000 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को {उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना } विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

D:\Affiliation 7-7-12.doc

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

- ✓ संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वंय उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस संबंध में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/2012/16322–325 तद्दिनांक–14–9–2012

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. निदेशक, आई0आर0डी0टी0 कानपुर।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. [illegible] फार्मेसी [illegible] अलीगढ़ 202132 को इस आशय से कि संस्था की सोसाइटी/ट्रस्ट के संचालक/प्रबंधक को उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव

D:\Affiliation 7-7-12.doc

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)

32	शान्ती इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, ग्राम कुराली बागपत रोड, मेरठ।	1. सिविल इंजी0	60		03 वर्ष	
		2. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	60	–	03 वर्ष	
		3. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	60	–	03 वर्ष	
		4. डिप्लोमा इन इनफार्मेशन टेक्नालोजी	60	–	03 वर्ष	
		5. डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजी.	60	–	03 वर्ष	
		6. डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजी0(प्रो0)	60	–	03 वर्ष	
		7. डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजी(आटो)	60	–	03 वर्ष	
		8. मैकेनिकल इंजी (मेन्टी)	60	–	03 वर्ष	
		9. सिविल इंजी0(इन्वायरनमेण्ट एण्ड पाल्यू0 कन्ट्रोल)	60	–	03 वर्ष	–
		10. इलेक्ट्रिकल इंजी एण्ड इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल	60	–	03 वर्ष	–
33	सर मदन लाल इंस्टी0 आफ फार्मेसी आलमपुर हौज आगरा रोड, इटावा।	1. डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	–	02 वर्ष	–
34	विवेक कालेज आफ टेक्निकल एजूकेशन बिजनौर।	1. डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	–	02 वर्ष	–
35	दुलारी देवी इंस्टी0 आफ फार्मेसी चन्दौस अलीगढ़।	1. डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	–	02 वर्ष	–
36	राजाराम चन्द्र इंस्टी0 आफ टेक्ना0 एण्ड मैनेजमेंट, चन्दौस अलीगढ़।	1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	60	–	03 वर्ष	
		2. डिप्लोमा इन इनफार्मेशन टेक्नालोजी	60	–	03 वर्ष	
		3. इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	60	–	03 वर्ष	
		4. मैकेनिकल इंजी0 (प्रोडक्शन)	120	–	03 वर्ष	प्रवेश क्षमता वृद्धि
		5. सिविल इंजी0	120	–	03 वर्ष	प्रवेश क्षमता वृद्धि
		6. मैकेनिकल इंजी0 (आटो)	60	–	03 वर्ष	
		7. इलेक्ट्रिकल इंजी0	60	–	03 वर्ष	
		8. सिविल इंजी0 (इन्वायर एण्ड पाल्यू0 कन्ट्रोल)	60	–	03 वर्ष	
		9. मैकेनिकल इंजी0 (मेन्टी0)	60	–	03 वर्ष	–

NIRBHAYA SINGH
Secretary
D.D. Inst. Of Pharmacy
Chandaus, Aligarh (U.P.)